

भारतीय मानक ब्यूरो
BUREAU OF INDIAN STANDARDS

मानक चिन्ह लगाने की अनुज्ञप्ति

Licence for the use of STANDARD MARK

अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) सं. सीएम/एल 7960695

LICENCE NO. CM/L - 7960695

यह ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर
मैसर्स ग्रेस कास्टिंग लिमिटेड
सर्वे नं 188 और 189
करन नगर
कलोल-कडी रोड
तालुका- कडी
जिला -मेहसाना
गुजरात

को (जिसे इसमें आगे अनुज्ञप्तिधारी कहा गया है) इसकी प्रथम अनुसूची के पहले कालम में दिखाए गए मानक चिन्ह का उपयोग करने को अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) प्रदान करती है। इस मानक चिन्ह का उपयोग ऐसी वस्तु पर/प्रसंस्करण के संबंध में किया जाएगा जिसका उल्लेख इसकी उक्त अनुसूची के दूसरे कॉलम में किया गया है। यह वस्तु/प्रसंस्करण उक्त अनुसूची के तीसरे कालम में उल्लिखित संबंधित भारतीय मानक के अनुसार विनिर्मित होगी/के अनुरूप होगा।

1. By virtue of the power conferred on it by the BUREAU OF INDIAN STANDARDS ACT, 1986(63 of 1986) the BUREAU hereby grants to

M/s GRACE CASTING LIMITED
SURVEY NO 188 & 189
KARAN NAGAR
KALOL-KADI ROAD
TAL : KADI.
DISTT: MEHSANA
Gujarat

(hereinafter called 'the licensee') this licence to use the Standard Mark set out in the first column of the First Schedule hereto, upon or in respect of the article/process set out in the second column of the said Schedule which is manufactured in accordance with/conforms to the related Indian Standard(s) referred to in the third column of the said Schedule as from time to time amended or revised.

2. इस अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) के साथ ये अधिकार और बाध्यताएं हैं जिनका अनुबंध उक्त अधिनियम के आधीन बनाए गए विनियमों में हैं। अनुज्ञप्तिधारी अपनी बाध्यताओं का अनुसरण करते हुए, इसकी दूसरी अनुसूची में उल्लिखित चिन्ह लगाने की नित फीस सम्यक् रीति से और नीयत समय पर देगा तथा परीक्षण और निरीक्षण की उस स्कीम को, जिसकी प्रति संलग्न है, ब्यूरो की

2. This licence carries the rights and obligations stipulated in the Regulations made under the above mentioned Act. In pursuance of this obligation, the licensee shall pay in due manner and time the scheduled Marking Fee set out in the, Second Schedule hereto and maintain to the satisfaction of the BUREAU the Scheme of Testing and Inspection a copy of which is attached hereto.

3. यह अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) 3 अगस्त 2009 से 2 अगस्त 2010 तक विधिमान्य

रहेगी और विनियमों में विहित रूप में इसका नवीकरण हो सकेगा।

3. This licence shall be valid from THIRD AUGUST, TWO THOUSAND NINE to SECOND AUGUST, TWO THOUSAND TEN and may be renewed as prescribed in the Regulations.

आज दो हजार नौ के अगस्त मास के चौथे दिन
हस्ताक्षरित तथा मुद्रांकित।

Signed, Sealed and Dated this FOURTH day of AUGUST TWO THOUSAND NINE

भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से
for BUREAU OF INDIAN STANDARDS



प्रमुख (अहमदाबाद)

Head (Ahmedabad)

प्रथम अनुसूची
THE FIRST SCHEDULE

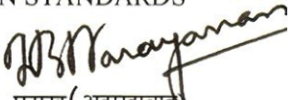
मानक चिन्ह STANDARD MARK (1)	वस्तु/प्रसंस्करण ARTICLE/PROCESS (2)	भारतीय मानक INDIAN STANDARD(S) (3)
IS 1786  CM/L-7960695	हाइ स्ट्रेन्थ डिफोर्मड स्टील बारस फोर कोंक्रीट रेनफोर्समेन्ट, (टि एम टि) ग्रेड, अफइ 415, अफइ 500, और अफइ 550, साइझ 8 अमएम से 32 अमएम High Strength Deformed Steel Bars for concrete reinforcement, (TMT) Grades, Fe 415, Fe 500 and Fe 550, size 8 mm to 32 mm	भा. मा. 1786 : 2008 कंक्रीट प्रबलन के लिए उच्च शक्ति विरूपित इस्पात सरिए एवं तार- विशिष्टि IS 1786 : 2008 Specification for high strength deformed steel bars and wires for concrete reinforcement

THE SECOND SCHEDULE

अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) संख्या सीएम/एल 7960695 के लिए चिन्ह लगाने की फीस की अनुसूची
SCHEDULE OF MARKING FEE FOR LICENCE NO.CM/L- 7960695

वस्तु प्रसंस्करण ARTICLE/PROCESS (1)	इकाई UNIT (2)	प्रति इकाई चिन्ह लगाने की फीस MARKING FEE PER UNIT (3)	भुगतान की रीति MANNER OF PAYMENT (4)
हाइ स्ट्रेन्थ डिफोर्मड स्टील बारस फोर कोन्क्रिट रेनफोर्समेन्ट, ग्रेड, अफइ 415, अफइ 500, और अफइ 550, साइज़ 8 अमअम से 32 अमअम High Strength Deformed Steel Bars for concrete reinforcement, Grades, Fe 415, Fe 500 and Fe 550, size 8 mm to 32 mm	1 TONNE	सभी इकाइयों के लिये रू 3.00 के साथ न्यूनतम रू 17700 एक प्रचालन वर्ष की अवधि के लिए Rs.3 per unit for all the units with a minimum marking fee of Rs. 17700/= during an operative period of one year.	क) लाइसेंस के एक वर्ष लागू रहने के लिए न्यूनतम फीस अग्रिम देय होगी और यह फीस अगले नवीकरण(नवीकरणों) के लिए जमा रहेगी। (a) Minimum marking fee for one operative year payable in advance which will be carried over to next renewal(s). ख) लाइसेंस के पहले नवीकरण के समय लागू अवधि के पहले नौ महीनों के लिए लगे उत्पादन पर इकाई दर से बनने वाली चिन्ह लगाने की वास्तविक फीस या न्यूनतम फीस, जो भी अधिक हो, में देय होगी। बाद के नवीकरणों के लिए 12 महीने की अवधि के लिए चिन्ह लगाने की वास्तविक फीस, जिसमें पिछली लागू अवधि के अन्तिम तीन महीने और चालू अवधि के पहले नौ महीने शामिल होंगे या न्यूनतम फीस, जो भी अधिक हो, देय होगी। (b) Actual marking fee for the first nine months of the operative period calculated on the unit rate on the production marked on the minimum fee, whichever is higher, shall be payable at Ahmedabad at the time of the first renewal of the licence. For subsequent renewals, the actual marking fee for 12 months/period consisting of last three months of previous operative period and first nine months

भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से
for BUREAU OF INDIAN STANDARDS


 प्रमुख (अहमदाबाद)
 Head (Ahmedabad)